# Mरत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ti. 403] No. 403] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2005/भाइ 29, 1927 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2005/BHADRA 29, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 600(अ).— भारतीय पत्तन अधिनियम. 1908 (1908 के अधिनियम सं. 15) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके. केन्द्र सरकार, जलयानों का पत्तनों में प्रवेश विनियमित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का नाम, जलयानों का पत्तनों में प्रवेश नियम, 2005 है।
  - (2) ये नियम, राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

### बीमा कवर :—

किसी पत्तन में प्रवेश करने वाले किसी जलयान के स्वामी को निम्नलिखित से संबंधित मुआवजे के लिए संरक्षण और क्षतिपूर्ति क्लब के किसी अंतरराष्ट्रीय दल के सदस्य के रूप में संरक्षण और क्षतिपूर्ति क्लब अथवा केन्द्र सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित किसी क्लब से बीमा कवर प्रस्तत करना होगा :—

- (i) पोतावशेष ह्याए जाने से संबंधित व्यय;
- (ii) तेल के रिसाव अथवा किन्हीं जोखिम भरे और अनिष्टकर पदार्थों से हुए प्रदूषण से होने वाला नुकसान;
- 3. उपर्यक्त नियम 2 में संदर्भित बीमा कवर प्रस्तुत नहीं करने वाले जलयान को पत्तन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा :

परन्तु यह है कि इन नियमों के प्रावधान, समुद्र में जीवन की सुरक्षा के बारे में समझौते से इतर जलयानों अर्थात् उपर्युक्त समझौते का निर्वाह नहीं करने वाले जलयानों पर लागू नहीं होंगे, यदि जलयान का स्वामी, पोतावशेष हटाए जाने और प्रदूषण से होने वाली हानि के मुआवजे के भुगतान के विषय में, संबंधित पत्तन द्वारा किए जाने वाले व्यय के संबंध में संबंधित पत्तन को मुआवजे के भुगतान के बारे में वचन-पत्र प्रस्तुत कर दे।

# 4. स्पष्टीकरण :--

समुद्र में जीवन की सुरक्षा के बारे में समझौते से इतर पोत अर्थात् उपर्युक्त समझौते का निर्वाह नहीं करने वाले पोत से, ऐसा जहाजी माल-पोत अभिप्रेत है, जिसकी धारिता क्षमता 500 सकल टनभार से कम हो और ऐसे पोत में अंतर्देशीय समुद्री यात्रा पर लगाया जाने वाला पोत, अंतर्देशीय यात्री-पोत तथा मत्स्य-जलयान एवं टग के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला अन्य छोटा पोत शामिल है।

[फा. सं. पी टी-11024/5/2003-पीटी]

अजय कुमार भल्ला. संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### (Department of Shipping)

(PORTS WING)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th September 2005

- G.S.R. 600(E).—In exercise of the powers conferred by Section of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following rules to regulate the entry of vessels into Ports, namely:—
  - 1. (1) These Rules may be called the Entry of Vessels into Ports Rules, 2005
    - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 2. Insurance Cover:—

Owner of a vessel entering a Port shall have to produce an insurance cover for compensation in relation to:—

- (i) wreck removal expenses;
- (ii) Pollution damage caused by spillage of oil or any learnedous and noxious substances;

  From a Protection and Indemnity Club which is a member of an International Group of Protection and Indemnity Club or a Club duly approved by the Center Government.
- 3. The vessel which fails to produce the insurance cover referred to in rule 2 shall not be allowed to enter the Port:

  Provided that the provisions of these rules shall not be applicable to a non Safety of Life At Sea (SOLAS)

  Convention Vessels if the owner of the vessel furnishes an undertaking for compensation to the port in connection with expenses which port may incur on removal of wreck and pollution damages caused.
- 4. Explanation:

Non Safety Of Life At Sea (SOLAS) ships means a cargo ship with less than 500 Gross Tonnage (GT) and includes a ship engaged on domestic voyage, a domestic passenger ship and other small ship being used as fishing vessel and tug.

[F. No. PT-11024/5/2003-PT]

A. K. BHALLA, Jt. Secv.